उत्तराखण्ड राज्य

GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE

HARIDWAR-249408, UTTRAKHAND

Email: gmcharidwar@gmail.com

पत्रांक रा0मे0कॉ0 हरिद्वार/का0आ0/2024–25/ दिनांक 4 अक्टूबर, 2024

–:कार्यालय आदेशः–

राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार में नीट यू0जी0–2024 के माध्यम से शैक्षिक सत्र 2024–25 में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश होने वाले समस्त छात्र/छात्राओं के लिए शासनादेश संख्याः–1076/XXVIII(5)/2021-77/2013 दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 **(संलग्नक)** एवं शासनादेश संख्याः– 1145/XXVIII(1)/2013-U.O-03/2008 दिनांक 23 मई, 2013 में विहित शेष शर्ते को यथावत रखते हुए नॉन बॉन्डेड छात्र–छात्राओं हेतु निम्नानुसार शुल्कों का निर्धारण किया गया हैं।

नॉन बान्डेड (NON BONDED):

क्र0स0	शुल्क का नाम	प्रस्तावित शुल्क रू0 में
1	शिक्षण शुल्क	1,45,000/– (प्रतिवर्ष लिया जाने वाला शुल्क)
2	छात्रावास शुल्क	6,000/– (प्रतिवर्ष लिया जाने वाला शुल्क)
3	क्रीड़ा शुल्क	5,000/– (एक बार केवल प्रवेश के समय)
4	विकास शुल्क	5,000/– (प्रतिवर्ष लिया जाने वाला शुल्क)
5	धरोहर शुल्क	10,000/–(एक बार केवल प्रवेश के समय)
6	प्रवेश शुल्क	500/–(एक बार केवल प्रवेश के समय)
	कुल योग	**1,71,500/–(प्रतिवर्ष लिये जाने वाला शुल्क)**
Prospectus & Admission Form Rs. 1500/- cash to be Deposited at the time of admission.		

- नीट काउंन्सिलिग के माध्यम से प्रवेशित छात्र–छात्राओं द्वारा निम्नानुसार कॉलेज छोड़े जाने की दशा में हेमवन्ती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय/चिकित्सा शिक्षा निदेशालय/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार कटौती कर शेष धनराशि सम्बन्धित छात्र–छात्रा के खाते में वापस की जायेगी।
- विद्यार्थियों द्वारा कुल शुल्क की धनराशि का ड्रॉफ्ट प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार के नाम किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक से निर्गत किया हुआ ही अनुमन्य होगा, यदि उत्तराखण्ड़ शासन/विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क में कोई परिवर्तन होता है, तो वह देय होगा एवं शुल्क का अन्तिम निर्धारण शासनादेशों के अनुपालन में मान्य होगा।
- हेमवन्ती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा समय–समय पर प्रोफेशनल परीक्षाऐं आयोजित करायी जाती है, एवं प्रोफेशनल परीक्षा हेतु अतिरिक्त परीक्षा शुल्क छात्रों को देना होता है।
- कॉलेज छात्रावास (पुरूष/महिला) में मैस की व्यवस्था है, जिस हेतु संस्थान द्वारा निर्धारित मैस शुल्क देना होगा, कॉलेज छात्रावास (पुरूष/महिला) रहने वाले सभी छात्र–छात्राओं का वार्षिक छात्रावास शुल्क के साथ वार्षिक मैस शुल्क देना अनवार्य है। वर्ष के अन्त में मैस बिल का समायोजन मैस कमेटी के द्वारा किया जायेगा।

(संलग्नक यथोपरि)

प्राचार्य
राजकीय मेड़िकल कॉलेज
हरिद्वार।

पत्रांक रा0मे0कॉ0 हरिद्वार/का0आ0/2024–25/ 436 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, 107 चन्दर नगर, देहरादून।

प्राचार्य
राजकीय मेड़िकल कॉलेज
हरिद्वार।

संख्या– 1076 /XXVIII(5)/2021-77/2013

प्रेषक,

डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांक 11 दिसम्बर, 2021

विषयः– राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण शुल्क के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1145/XXVIII(1)/2013-U.O-03/2008 दिनांक 23 मई, 2013, जिसके माध्यम से राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड के क्रियान्वयन तथा एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु शुल्क निर्धारित किया गया है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 23.05.2013 के माध्यम से अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड हस्ताक्षरित न करने वाले नॉन बॉण्डेड एम0बी0बी0एस0 छात्रों हेतु वार्षिक शिक्षण शुल्क ₹ 04.00 लाख निर्धारित किया गया है, को शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में संशोधित करते हुए वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021–22 से राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नॉन बॉण्डेड छात्र–छात्राओं हेतु एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित वार्षिक शिक्षण शुल्क को कम करते हुए ₹ 1.45 लाख (₹ एक लाख पैंतालिस हजार मात्र) वार्षिक तत्काल प्रभाव से निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– उक्तानुसार निर्धारित वार्षिक शिक्षण शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा शासनादेश निर्गत होने की तिथि के पश्चात नव प्रवेशित/अध्ययनरत छात्रों से देय वार्षिक शिक्षण शुल्क उक्तानुसार संशोधित दरों पर ही लिया जायेगा।

4– शासनादेश संख्या–1145/XXVIII(1)/2013-U.O-03/2008 दिनांक 23 मई, 2013 में विहित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–227(म0)/XVII(3)/2021 दिनांक 06 दिसम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव।

क्रमश–2–

D.\computer data till 2020\Medical education\2020-21\Draft\Establishment Draft 2021.01.doc

संख्या– / .XXVIII(5)/2021-77/2013 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।

2– निजी सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।

3– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

4– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।

5– गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

6– महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।

7– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।

8– कुलसचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।

9– समस्त प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, उत्तराखण्ड।

10– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

11– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह पांगती)
संयुक्त सचिव।

D:\computer data till 2020\Medical education\2020-21\Draft\Establishment Draft 2021.01.doc